प्रेस विज्ञप्ति

11.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स हत्श टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से संबंधित मामले में 10.03.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत शांतनु गुप्ता और अब्दुल वहाब यासिर नामक 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ ने ईडी को उनकी 02 दिनों की हिरासत प्रदान की है।

ईडी ने भारत से अमेरिका साइकोट्रॉपिक पदार्थों की तस्करी के मामले में आरोपी शांतनु गुप्ता, अब्दुल वहाब यासिर और अन्य शामिल आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत एनसीबी, लखनऊ इकाई द्वारा दायर शिकायत और आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति अमेरिकी नागरिकों को प्रतिबंधित दवाइयों की आपूर्ति में शामिल थे। यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने 2012-17 के दौरान 6 कंपनियों को शामिल किया और लखनऊ में कंपनियों के कार्यालय से एक कॉल सेंटर संचालित किया। वे कॉलसेंटरइंडिया डॉट कॉम से यूएसए के नागरिकों का कच्चा डेटा प्राप्त करते थे और प्रतिबंधित/मनोरोगी दवाओं की आपूर्ति के लिए संभावित ग्राहकों की पहचान करते थे। वे स्काइप ऐप के माध्यम से यूएसए के नागरिकों को कॉल करते थे, ग्राहकों की पहचान करने और ऑर्डर और अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद, वे इंडिया पोस्ट के माध्यम से यूएसए में दिए गए पते पर मांगी गई प्रतिबंधित दवाएं भेजते थे।

वर्ष 2012 से 2017 की अवधि के दौरान, उन्हें मेसर्स हत्श टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड सहित उनकी विभिन्न कंपनियों के खातों में 23.67 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। जांच के दौरान, अपराध की आय के रूप में 3.22 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों की पहचान कर दिनांक 20.10.2023 को कुर्क किया गया, जिसकी पुष्टि माननीय न्याय-निर्णयन प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20.03.2024 के आदेश के तहत की गई।

आगे की जांच जारी है।